कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

दूरभाष क्रमांक /Tel. Nos. कार्यालय: (022) 2583 8444 Office: : (022) 2583 8445

Fax : (022) 2583 8446



(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) - क्षेत्रीय कार्यालय - मुबंई - II वरदान कमर्शियल कॉम्पलेक्सं, छठी मंजील, एम. आई. डी. सी. रोड नं.16, वागले इस्टेट, ठाणे (प.) - 400 604. महाराष्ट्र

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Ministry of Labour, Govt. of India) Regional Office - Mumbai - II Vardan Commercial Complex, 6th Floor,

M. I. D. C., Road No. 16, Wagle Estate, Thane - 400 604. Maharashtra.

सं. No. दिनांक / DATE:

No.MH/ 40604/PF/Enf /THN/Circle II/ 1278

Date: 17/02/12

To, M/s ISS Hicare Pvt Ltd, Godrej Ind Ltd Complex, Gate no 04, Pirojshahnagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (E) Mumbai 400079.

Sub: 1. Issuance of duplicate PF registration Certificate in R/o M/s ISS Hicare Pvt Ltd MH/40604

2. Change of name of the company from M/s Godrej Hicare Ltd Ref: Letter dated 16.12.2011 received from the establishment through this office inward section on 16.12.2011.

Sir,

With reference to the letter cited above a copy of original code draft letter is enclosed herewith for your purpose.

Also as per your letter dated 16.12.2011, the name of your establishment has been updated to M/s ISS Hicare Pvt Ltd in this office establishment master file.

Yours faithfully,

(C P Mathur)

Assistant P.F.Commissioner R.O.Mumbai-II, Thane

Encl: As Above

क्षेत्रीय भविष्य निधि-आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

भविष्य निधि भवन, 341, बांद्रा (पूर्व) बम्बई-400 051

Bhavishya Nidhi Bhavan, 341, Bandra (East), Bombay-400 051

| 1 | सं./महा/भ.नि./प्रयोज्यता No. MH/PE/APP/40604/ENT-20NE-7/F/1772 Date: 23/1/95 |
|--|---|
| . | |
| | सेवा मे |
| | Me Godnet & kis Hd, (Including Branches) Plant No-13, Piro, shangar, Nkhroli, Bly 4000 79. |
| | Plant No-13, Pirojshangur, |
| 1 | W. 1 |
| 1 | विषय:— कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजनान्द्रसकी प्रयोज्यता-संकेत संख्या का आवंदन । |
| | Sub: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed there- under—applicability thereof—Allotment of code number. |
| | |
| ľ | महोदय, |
| The second second | Sirs, 1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाए और विभागों के साथ दि से कर्मचारी अविबंध निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि : |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from |
| Service Control of | (1) आपको फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग———————————————————————————————————— |
| | (i) Your factory is engaged in |
| 1 | 2. आपकी स्थापना——————————————————————————————————— |
| 1 | (ii) Yours is an establishments classified as |
| The second | 3. आपकी फैक्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के दर्ग में अन्तर्भुत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को अ-सूचिबद्ध माना गया है। |
| THE PERSON NAMED IN | (1-क) जाँच पडताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अविध के प्रलेख सत्यापित हो जाए । |
| | (1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods. |
| | (1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं. के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिण उपलब्ध अधिनियम की प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुओ भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप की वारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुओ भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप |
| | हि स, व्याप्ता करक उसके छिए एम्एन्। |
| | received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/ |
| | powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscer, planeous Provisions Act, 1952. Lunder Schedule Head Trading & Commercial |

आपकी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबन्धों का अनुपालन करने

-यह_{्र} संकेत संख्या नियत[े]की हैं। यह संकेत संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेवालें सभी पत्नाप

कम के साथ प्र

tion Acc

Ref 0601 The code No. MH/... is allotted to you for the purpose of making comphich toge nce with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 at f every m he Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondentallans in with this office. (क) भ. -से कर्मचारी भविष्य निधि योजना--------से परिवार पेन्शन योजना तथा-2. आपका-(a) P. 1 से निर्क्षेप सहबद्ध बीमा योजना के उपबन्धीं की कार्यान्वित करना है, अगर अभीतक न किये हो, तो। (ख) प्रश (b) Ad (ग) परिव 3. फैक्टी/स्थापना में या उसके काम के सम्बद्ध में कार करने उपना कमेचारी अविध्य निधि योजना, 1952 की धारा 26 के अनुसार निधि की सब (c) Fam के लिए पान होगा। As provided in para, 26 of the Employee Provident Fund Scheme, 1952, an employee work टिप्पणी :- 1 के 0.65 % to or in connection with the work of the factory/establishment shall be eligible for membership of the fu म प्रतिमास कम 4 (1) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतक, महागाउँ भला (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधार क 610/8% 810/10% की दर में अंग्रदान नियोकता द्वारा देव होगा। कर्मचारी द्वारा देव अंग्रदान नियोक्ता द्वारा NOTE: देय अंशदान 1000 ace including समान होगा। 1000 (2) यह भी 4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of रवर्ती वेतन से पि basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if payable to each employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to (ii) It ma contribution payable by the employer. Il have to p subsequent (2) अंग्रादान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल वेतन, महंगाई भत्ता आही के आधार पर परिकलित किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या आधार पर अवा किया है। (3) आपको स पद्म की तारीख से (ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually d during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis. (iii) You 1 mely from-thin (30) days (3) प्रत्येक अंशदान रुपये के नजदिक के चतुर्थांक से पिकालित किया जाएगा। जैसे कि 125 था उसके अधिक पैसे रुपये के अगले उच्च चतुर अनुसार गिने जाए। (4) धन प्रेषण -(iii) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee more to be counted as the next higher quarter of a rupee, i. e. 125 (iv) The re e Bank of (4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णािकत किया जाए जैसे कि 50 या उल्ले अधिक पैसे एक रूपया के अनुसार गिने जा (5) चेक यथा 50 से कम पैसे छोड़ दिये जाए। भी शाखा में प्र (iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the no rupee i. e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored. (6) लेखा संख्या के अन्तर्गत लेखा र टिप्पणी :- किसी भी दिन आपने 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप 8% अंदशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे। NOTE: On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to 6. Besides ma contributions-8%. eposit the am in the mann (5) नियोक्ता प्रथमतः उसके और कर्यवारी को ओर से देय होनो अंग्रदान भरें। 9. निर्धेप स The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also लेखा सं. 21. behalf of the member (6) डेकेदार द्वारा कामपर लगाय हुये केमेंचारीयों के बारे में देव अंगरान टेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंगदान की कटौती Depos समान अंग्रह Insura राशी प्रशासनिक खर्चा की रक्कम के साथ मुख्य नियोक्ता को सुपूर्त वरेगा: Accom (vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of men contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges क्षेत्रीय बीग लेखा सं. २ मुख्य नियोक्ता पर उसके कर्मचारीयों के एवं ठेकेदार हारा कामपर छमाये भये कर्षचारीयों के बारे में देव दोनो अंशदान और प्रशासनिक रकम भरने की जिम्मेदारी होगी। Regiona (vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions pa Fund / by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed

through a contractor and also Administrative charges.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

कर्मचारी को उसका बेतन देने से पहले आप उसके बेतन से कर्मचारी के अंग्यान की कटौती करें और आपका बंगयान एवं प्रशासनिक लागों की साथ प्रत्येक महिने की समाप्ति के १५ के दिन अन्दर भारतीय स्टेट बॅक द्वारा पोषित निधि के लेख में अलग चालान द्वारा निम्नलियित प्रकार से अर्रे।

Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages hich together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate enchallans in the following manner:

(क) भ. नि. अंशदान (दोनो कर्मचारी एवं नियोक्ता का)

कमंचारी भविष्य निधि लेखा सं 1 में निक्षेपित किया जाए।

(a) P. F. contributions (both employees' and employer's) To be deposited in Employee's Provident Fund Account No. 1.

(ख) प्रशासनिक खर्चों की रकम

. w. e.

t Linke

की सदस्यत

(b) Administrative charges

कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 2 में निक्षेपित किया जाए।

To be deposited in Employees's Provident Fund Account No. 2.

(ग) परिवार पेन्शन अंशदान

(c) Family Pension contributions

कर्मवारी परिवार पेन्यन निश्चि लेखा सं 10 में निक्षेपित किया 'जाए।

To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10.

टिप्पणी :- 1. प्रशासिनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद कीमत के साथ महंगाई मता और अगर हो तो प्रतिधारण e workin त्ते के 0.63 % हैं। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास 5.00 ध्ययों के कम परिकलित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्ची की f the fund कम प्रतिमास कम से कम 5-00 रुपयें देय होगी।

प्रतिधारण NOTE: (i) The rate of administrative charges is Offper cent of pay i. e. basic wages, dearness allow-अंशदान nce including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

(2) यह भी नोट कर लिया जाये की सदस्य के वेतन से यथा समय कटौती न करने पर अंशादान के दोनो हिस्से खुद नियावता की भरते होंगे उसी की e, if तरवर्ती बेतन से पिछले अवधि के लिये बकाये अंभदान की वसुली निशिद्ध है।

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer ial to ill have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from he subsequent wages of the employee is prohibited.

क्षक या मारि (3) आपको सभी पात्र कमचारीयों के बारे में पिछले -तक के महिनों के लिए भविष्य निधि कुल अंशवान

(iii) You have to deposit the total P. F. contributions of the eligible employees for all past month amely from the date of this letter.

(4) धन प्रेषण हेतु सम्बन्धित चालान इस कार्यालय यां विभिन्न जिलों में स्थित निरिक्षक कार्यालय से प्राप्त हिये जा सकते हैं।

125 (iv) The relevant challans for the purpose of remittance of can be had from any branch of the tate Bank of India.

र गिने जाए (5) चेक यथा अवस्था क. भ. नि. लेखा सं. 1, 2, 10, 21 और 22 के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक की सी भी शाला में प्रस्तुत किये जाए। the near

(6) लेखा संस्था 1, 2 और 10 में (उपयुक्त ब्योरे के अनुसार) किये जाने वाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना पुष्क के अन्तर्गत लेखा सं 21 और 22 में निम्मिशिवित प्रकार से राशीका निक्षेप प्रत्येक पहिने का समाप्ति के बाद अगले महिन के 15 दिन के अन्दर करना

होंगे। 6. Besides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above) you are also required deposit the amounts in Account Nos 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. able to

976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month. इस लेखा में नियौवता द्वारा कमचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कींमत निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा सं. 21.

> Linked Deposit (i) Insurance Fund Account No. 21.

To this account will be deposited the contribution 0.5 % which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including cash, value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by employer,

के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भर्ते की कुल राशी पर ०.५ % की दर से अंशदान निक्षेपित

क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासन लेखा सं. २२.

इस लेखा में नियोज्या द्वारा कर्मचारी को दय मूल वेतन, महंगाई भता (अवाज-मुखिया का नवद की नत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भन्ने की कुछ राशी पर 0.1 दर से प्रशासनिक सची की रकम निश्नेपित करनी हैं।

Regional Insurance (ii) Fund Administration Account No.22 To this account will be deposited the administrative charges 0.1 per cent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to the employees by employer.

and also

समान अंशदा

1 recover of memb

e charges.

प्रशासनिक खन

outions pay aployed by

उपयुक्त लेखा स. 1, 2, 10, 21, और 22 में किया जानेवाला निक्षेप अलग जालान द्वारा किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पावती चाल प्रपत्न सं. १२-ए (निम्नलिखित ब्चोंरो के अनसार) के साथ संलग्न करके इस कार्यालय को भेंजी जाए। "ए" में दि

The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate ch and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached form 12-A (explained below)

9. Scheme Office an he Schei

नेरीक्षक के

- आपको निम्नलिखित विवरणियों का पोषण/प्रेषण करना है।
- You are required to maintain/forward the following returns.

10. 3 का सदस्य थाः रजिस्टर रखेगी

- क थ ि योजना 1952 अन्तरंत प्रपत्न संख्या 9 तथा प. पे. योजना 1971 के अम्तर्गत प्रपत सं. 3 (प. पे. नि.)
- योजना के अनुभंत भंतुन्ने/स्थापना की व्याप्ति की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक है या ज बननेके अलए पाव है उन कर्मचारोयों के बारे में केवल एक बार इन्हें इस कार्यालय में प्रस्तुत करा n employm

Form No. 9 under the EPF Scheme 1952 and Form No. 3 (FPF) under the F. P. F. Scheme, 1971.

These are to be submitted to this office once in respect of those loyees who are required or entitled to become members on the of the factory/establishment is covered under the Scheme.

11. fra

11. An rovident Fu

अभवारी प्र. ि. योजना १९', २ तथा प. पे. नि. योजना 1971 के अन्तर्गत प्रपत्न सं. 2

इन्हें इसं कार्यालय को बिलने के लिए प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त करना है।

(ii) Form No. 2 under the EPF Scheme, 1952 and alsounder F. P. F. Scheme, 1971.

These are to be obtained in duplicate from every member for subm to this office.

(३) प्रपन्न सं. 5-ए.

यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा! मालिकी में अगर उत्तरवर्ती परिवर्तन हो जाए तो प्रपन्न के जरिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

(iii) Form No. 5-A.

This is to be submitted to this office. Any subsequent cha ownership is also to be notified to this office through this form

(४) प्रपत्न सं. 3-ए

इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फैक्ट्री/ स्थापना में पोषीत किया जाना है।

(iv) Form No. 3-A

This is to be maintained at the factory/establishment in resp every employee who is a member

प्रपत्न सं. 6-ए

यह अंगदान की वार्षिक विवरणी है और इसे विलिय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अन्दर इ को भेजा जाता है।

Form No.

This is the annual return of contributions and is to be submi this office within 30 days of the close of the financial year.

प्रपत्न सं. 12-ए

स्टेट बैंक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाए। This is the monthly return of contributions and is to be submethis office by 25th. Copies of the challan, in support of the

यह अंगदान की मासिक विवरणी है और इसे 25 तरिशेख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है

(vi) Form No. 12-A

यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाना गया है तथा जिन कमचारीयों ने सेवा त उनके सम्बन्धि निवरणियाँ है जिन्हे 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाता है।

made in the State Bank of India should be attached with this.

(vii) Form Nos. 5 and 10

प्रपत्न सं. 5 और 10

These are the returns of employees who have become new or have left the service in the month and are to be submitted office by the 25th.

12. उपयुक्त धारा म नियत की है। सदस्यों नतक लेखा संख्या एमए बार एक सदस्य को नियत है उसने आपकी सेवा त्य

(3

(iii

(5)

(iv)

12. As stated, it

suffixed by the se count number of in ould in no case be

e left your establis

9. कर्मचारी भविष्य निधि योजमा, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपन्न भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यांख्य में उपलब्ध हैं और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ति की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न प्रपत्नों क्वा संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ए" में दिया हैं। भीध्र गणक भी इसके संलग्न हैं।

hed

- 9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Office and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure 'A'. A ready reckoner is also enclosed.
- 10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्न सं. 11 में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की आँच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असैंदस्य कमचारीचों के बारे में पानता रिजस्टर रखेगी।

आवश्यक है या जो । 10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken रूप में प्रस्तुत करणा employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.

ect of those pers on the cheme.

- 11. निम्निकिखित प्रारुप के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत कियाँ
- 11. An Inspection book in the following proforms may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observations:

(1) भविष्य निधि निरीक्षक का नाम (i) Name of the Provident Fund Inspector . Shri C.A. Gwalker

nber for submi

(2) जांच किये गये लेखा की अवधि
(ii) Period for which accounts are checked

वर्तन हो जाए तो

sequent change the this form.

(3) भेट की तारीब -

(iii) Date of visit

ना है। ient in respe

(5) टीका टियणी

विन के अन्दर इस

(iv) Observations-

to be submitt ncial year.

को भेजा जाना है।

12. उपयुक्त धारा 2-के अनुसार आपकी फैल्ट्री/स्थापना के लिए एमएच/
संलग्न की जाए! स्या नियत की है। सदस्यों की लेखा संख्या, प्रपन्न संख्या 9 और प्रपन्न संख्या 3 (प. पे. नि.) के अनुसार कमशः होगी। एतद् अनुसार सदस्यों की यिनत लेखा संख्या एमएच/

14. एमएच // /2, एमएच // /3, और इसीतरह लगातार होगी। एत के अनुसार कमशः होगी। एतद् अनुसार सदस्यों की प्रित्त के लेखा संख्या एमएच/

15. उपयुक्त धारा 2-के अनुसार आपकी स्वार एमएच/

16. एमएच // /2, एमएच // /3, और इसीतरह लगातार होगी। एवं अनुसार का लेखा संख्या की जाएगी। (जिस सदस्य को लेखा संख्या वी ort of the de है उसने आपकी सेवा त्याग देने पर भी)

यह त्रिविष्यित किया जाए कि निधि की देव राशी निर्धारित समय में भरती है। विखंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उ को धारा 14-ब्रो क जनसार सी प्रतिशत क्षतिगल्य के लिए उत्तरदायी होगी।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed at. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Sected the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

संकेत संख्य

Instruct

Instruct

3. Ready Contrib

14. इसके अतिरिक्त देवता की अदेनगी तथा बिवरणियों की अन्यन्तृति के लिए अभियोग भी लगाया आएगा।

Basides, Prosecution could also lie for mos sayment of dues and for non-submission of return

15. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है की लम्हे आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको किटिनाई महसूत हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं; तो इस कार्यालय को या निम्निलिखत पते पर भविष्य निधि निरीक्षक की सकते हैं।

15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afform necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you me please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

शी/श्रीमती---

लेखा संख्या के INSTRUC

फैक्ट्री स्थापना व निधि के जितने घं धि की पूर्ण लेखा स 06/1, एम्एच्/306, त संख्या सूचित हैं गयी लेखा संख्या स्य के लिए फिर रे या अप्रवृत्त रहेगी है लेखा संख्या उद् The emplo e factory/esta

> ed. For exan Tumbers will

malterable fac

Number allotte subscriber will account will t of a subscribe establishment in one. The Acce

Provident Fund

he serial as t क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुर् he factory/esta

महाराष्ट्र तथा गोव

Provident Fund Inspector

· A. Gowalkan

भविष्य निधि निरीक्षक

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully

Regional Provident Fund Commissioner,
Maharashtra and Goa.

Q ENFZONE-7 Q GO-Z-Co-ordination